

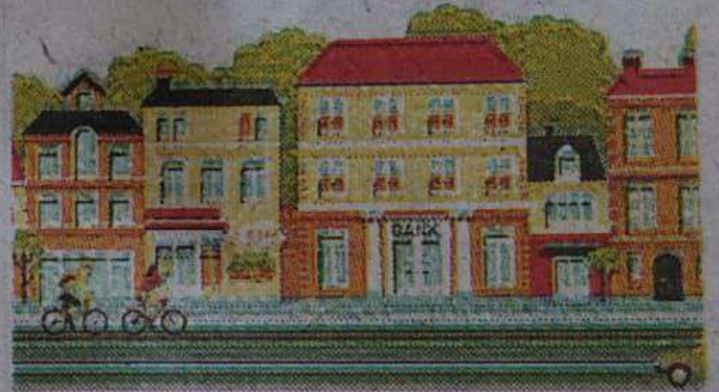
बिल्डरों के लिए निबंधन की प्रक्रिया आसान, अब कम कागजात देने होंगे

डीआरडीओ की तकनीक से बनेंगे आपदारोधी अपार्टमेंट

सिटी रिपोर्टर | पटना

बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बिल्डरों के लिए आयोजित कार्यशाला में बताया गया कि अब प्रोजेक्ट के निबंधन के लिए दस्तावेजों की संख्या काफी कम कर दी गई है। साथ ही आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए फिल्टर सिस्टम को और मजबूत किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वरिष्ठ अधिकारी विश्वजीत चौबे ने कहा कि उनके संस्थान द्वारा विकसित विशेष तकनीक का उपयोग कर बिल्डर बहुत कम समय में बहुमंजिली इमारतों का निर्माण कर सकते हैं। इससे निर्माण की मजबूती भी बेहतर होगी। आपदा के दौरान भी अपार्टमेंट सुरक्षित रहेंगे।

20 प्रोजेक्ट जल्द पूरे होंगे रera के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि शहर में लोगों को समय पर घर मुहैया कराने की प्राथमिकता है। 20 प्रोजेक्ट जल्द पूरे होंगे। उन सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा भी हुई, जिनका निबंधन अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच समाप्त होने वाला



है। 11 परियोजनाओं की गति बढ़ाकर उन्हें समय पर पूरा किया जा सकता है। बताया गया कि 17 प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी है, जिनके प्रमोटर्स को काम पूरा करने के लिए समय विस्तार और रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन लेना होगा। बिल्डरों को सुझाव दिया गया कि किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जमीन के सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

रेरा के जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह ने बिल्डरों को नसीहत दी कि वे अपने प्रोजेक्ट समय पर पूरा करें। इससे न केवल घर खरीदारों को समय पर उनके फ्लैट मिलेंगे, बल्कि रera द्वारा जारी की जाने वाली रैंकिंग में भी स्थान ऊपर जाएगा और बाजार में उनकी साख बढ़ेगी।